# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 44/2021

**प्रार्थी –**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

*बनाम*

**अप्रार्थीगण –**
1. केवलराम पुत्र हासोमल जाति सिंधी निवासी नेहरू नगर, बाड़मेर (मैसर्स विनायक किराणा स्टोर, महावीर नगर, बाड़मेर का मालिक)
2. प्रदीप कुमार पुत्र हासोमल जाति सिंधी निवासी नेहरू नगर, बाड़मेर (मैसर्स विनायक किराणा स्टोर, महावीर नगर, बाड़मेर का अनुज्ञापत्र धारक)
3. धनराज पुत्र गेहीमल जाति सिंधी निवासी महावीर नगर, बाड़मेर (मैसर्स तरूण प्रोविजन स्टोर, रीको एरिया का मालिक)
4. रणबीर राठी (मैसर्स पीएसडी फूड्स, खसरा नंबर 56/10 स्वर्ण पार्क उद्योग नगर ग्राम मुण्डका, वेस्ट दिल्ली का प्रोप्राइटर)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:46:11 IST
Reason: SelfAttested

**आदेश**

दिनांक : 28.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स विनायक किराणा स्टोर, महावीर नगर, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **12.10.2020** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड प्रभास (500 एमएल)** जो कि कुल 20 पैकेट में एक कार्टून में रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **चार पैकैट घी ब्राण्ड प्रभास (500 एमएल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1174** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड प्रभास (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड प्रभास (500 एमएल)** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **15.03.2021** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से किसी प्रकार की सैम्पलिंग की कार्यवाही नहीं की गई है, बल्कि उसने विधि के दायरे के बाहर जाकर जांच की है। लिहाजा प्रकरण में सैम्पल की पुनः जांच करवाई जावे एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया प्रकरण मय खर्चे खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **15.03.2021** में उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of Extracted Fat at $40^0$ C जिसका मानक स्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:46:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

40.0–43.0 के मुकाबले 51.7 तथा R.M. Value का मानक स्तर Not less than 26 के मुकाबले 0.11 पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने लिखित बहस में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से किसी प्रकार की सैम्पलिंग की कार्यवाही नहीं करना बताया है, तथा प्रकरण में सैम्पल की पुनः जांच करवायें जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं देना अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 पर संयुक्त रूप से **रूपये 2,00,000/–** का तथा अप्रार्थी संख्या 4 पर **रूपये 4,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:46:11 IST
Reason: SelfAttested